

**OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.**

No. SEEPZ-SEZ/ADMN/NEW STAFF CAR/359/2011-12 383 12.01.2016

PUBLIC NOTICE 18 / 2016

Public is hereby notified that Office of the Development Commissioner SEEPZ-SEZ, Mumbai 400096 proposes to dispose off Ambassador Motor Car No. MH-02-PA-3455 and 2 Royal Enfield Motor Cycles No. MH-02-AF-3081 and MH-02-AF-3083 as is where is basis by public auction.

Public is invited to attend auction on 29.01.2015 at 1600 hrs. at SEEPZ-SEZ, Service Centre Building, Andheri (E), Mumbai 400 096 to offer best price for the said vehicle.

The auction shall be subject to the following conditions:

1. The bidder shall be allowed to participate in auction only on payment of non-refundable entry fee of Rs.1,000/- in cash.
2. The expenditure on advertisement in newspaper shall be recovered from the participants in auction equally through the aforesaid entry fee which is non-refundable.
3. The bidder shall be allowed to inspect the vehicle and participate in the auction before the auction process.
4. The highest bidder shall be allowed to purchase the vehicle on payment of half of the auction price on the same day if his bid is accepted by the Committee authorized in this regard by Development Commissioner, SEEPZ-SEZ. The balance payment shall be paid through Demand Draft within seven days from the date of auction failing which the amount partially paid by the bidder shall be forfeited without any further communication.
5. The delivery of the vehicle shall be given to the highest bidder within two days after making full payment.
6. The Committee for auction of the vehicle reserves rights to postpone or cancel the auction without assigning any reason. The decision of the Committee shall be final.
7. The Committee also reserves the right to reject any or all the bids if they are found to be less than the basic/upset price fixed by SEEPZ-SEZ Administration

W/P/11

(V. P. Shukla)
Deputy Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपूज- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

सं.सीपूज-सेज/एडीएमएन/न्यू स्टाफ कार/359/2011-12 333

दिनांक: 12.01.2016

सार्वजनिक सूचना संख्या 18 /2016

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि विकास आयुक्त, कार्यालय सीपूज-सेज, मुंबई 400096 एंबेसडर मोटर कार नं.एमएच - 02 - पीए 3455 तथा 2 रॉयल इन्फिल्ड मोटर साइकिल नं. एमएच-02-एफ-3081 तथा एमएच-02-एफ-3083 का जैसा है, जहां है के आधार पर सार्वजनिक नीलामी के जरिए निपटान करना चाहता है।

सीपूज-सेज सर्विस सेंटर बिल्डिंग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400096 सीपूज-सेज में दिनांक 29.01.2015 को 16.00 बजे आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक नीलामी में उक्त वाहनों के लिए अच्छी से अच्छी कीमत देने के जन साधारण आमंत्रित हैं।

उक्त नीलामी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

1. बोली लगाने वालों को नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से पूर्व वाहनों का निरीक्षण करके नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
2. समाचार पत्र में इसके विज्ञापन पर होने वाले व्यय की वसूली नीलामी में बोली लगाने वालों से समान रूप में की जाएगी जो उनसे प्रवेश शुल्क रूप में ली जाएगी तथा यह राशि लौटाई नहीं जाएगी।
3. बोली लगाने वालों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे 1,000/- ₹. की राशि का नकद भुगतान करेंगे, जो उन्हें लौटाई नहीं जाएगी।
4. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को उसी दिन नीलामी कीमत की आधी राशि का भुगतान करके वाहन खरीदने की अनुमति दी जाएगी यदि उनकी बोली विकास आयुक्त, सीपूज-सेज द्वारा प्राधिकृत समिति स्वीकार कर लेती है। शेष भुगतान का नीलामी की तारीख से सात दिनों के अंदर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा आंशिक रूप में किए गए भुगतान की राशि आगे कोई सूचना दिए बिना जब्त कर ली जाएगी।
5. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को पूरा भुगतान करने के दो दिनों बाद वाहन सौंप दिया जाएगा।
6. नीलामी के लिए गठित समिति के पास बिना कोई कारण बताए नीलामी की तारीख आगे बढ़ाने अथवा नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
7. समिति के पास किसी भी बोली अथवा सभी बोलियों को अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है यदि वे सीपूज-सेज प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल / अपसेट कीमतों से कम पाए जाते हों।

Vishal
12/1/2016

(विजय प्रकाश शुक्ल)
उप विकास आयुक्त
सीपूज-सेज